न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 45/12 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2012/00206

अनवान्

1. श्री नन्दा पिता उदा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा मृतक के बजाय :–

1/1 श्री मेघराज पिता नन्दा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

1/2 श्री तुलसीराम पिता नन्दा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

1/3 रामीबाई पुत्री नन्दा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

1/4 बाबुडी पुत्री नन्दा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

1/5 चम्पा पुत्री नन्दा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

2. श्री कन्ना पिता उदा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

3. श्री गोपा पिता उदा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

4. श्रीमती फुली पत्नी उदा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

5. श्रीमती हरकु बेवा चेना डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

6. श्री चतरलाल पिता चेना डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

7. श्री दला पिता चेना डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

8. श्री अन्ना पिता रूपा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

8/1 जीवा पुत्री अन्ना पिता रूपा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

8/2 केशी पुत्री अन्ना पिता रूपा डांगी निवासी रख्यावल तहसील घासा।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रीमती केशी पुत्री देवा पत्नी माना डांगी निवासी मन्देसर तहसील वल्लभनगर।

2. एजी पुत्री देवा डांगी निवासी सांगवा तहसील घासा।

3. श्रीमती नका पुत्री देवा पत्नी नन्दा डांगी निवासी गोवला तहसील गिर्वा।

4. श्रीमती टांकु पुत्री देवा पत्नी लाला डांगी निवासी भल्लों का गुडा तहसील गिर्वा।

5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तहसील मावली।

.....विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री तुलसीराम डांगी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।

2. श्री चुन्नीलाल डांगी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 23.03.2026

1. प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा रख्यावल तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 960, 1582, 1617 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा भूमि के साबिक आराजी नम्बर 609/1, 1039, 1014 से बने हैं। जिसके मूल खातेदार विपक्षीगण के पिता देवा पुत्र काना डांगी को उक्त आराजी की भूमि में से आराजी नम्बर 960 का सम्पूर्ण हिस्सा, आराजी नम्बर 1582 का आधा हिस्सा जिसके पडौस विक्रय पत्र में अंकित है तथा आराजी नम्बर 1617 का सम्पूर्ण हिस्सा क्रेतागण उदा, चेना, अन्ना पुत्र रूपा डांगी को विक्रय कर कब्जा क्रेतागण को सौंप दिया तथा विक्रय पत्र का पंजीयन दिनांक 18.05.1968 को क्रेता के पक्ष में कराया, क्रेता उदा व चेना का निधन हो चुका हैं। इसलिए उदा के वारिसान प्रार्थी संख्या 1 से 4 तक है तथा चेना के वारिसान प्रार्थी संख्या 4 से 7 तक हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 1890, 1891, 1892 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के साबिक आराजी नम्बर 520 से बने है उक्त आराजी की भूमि में विपक्षी संख्या 1 से 4 तक के पिता देवा पुत्र काना डांगी का 1/3 हक हिस्सा होकर उसने अपने हिस्से की भूमि में से प्रार्थी संख्या 1 से 4 तक के पिता/पति उदा डांगी, प्रार्थी संख्या 5 से 7 के पिता/पति चेना डांगी, प्रार्थी संख्या 8 अन्ना यानि क्रेता उदा, चेना, अन्ना डांगी जो तीनों सगे भाई है को अपने हिस्से की भूमि में से 1/4 हिस्सा विक्रय कर दिया तथा गांगा, डुंगा, हीरा पिता दुदा डांगी निवासी रख्यावल को 3/4 हिस्सा दिनांक 18.05.1968 को 99 रूपये में विक्रय कर उक्त हिस्से अनुसार मौके पर कब्जा सौंप दिया तथा क्रेतागण के पक्ष में देवा पुत्र काना डांगी ने विक्रय विलेख लिख दिया है तथा खरीदारान उक्त खरीदशुदा भूमि पर खरीद से बतौर खातेदारी हक से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। जिसमें विपक्षीगण का कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं हैं।
2. यह कि इस तरह प्रार्थीगण उक्त परिशिष्ट क व ख में अंकित भूमि के खरीद से खातेदार काश्तकार बन चुके है इसलिए प्रार्थीगण परिशिष्ट क की आराजी नम्बर 960, 1617 का सम्पूर्ण हिस्सा आराजी नम्बर 1582 का आधा हक हिस्सा तथा परिशिष्ट ख में अंकित आराजी में विपक्षीगण के नाम दर्ज भूमि का 1/12 वां हिस्सा अपने नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के अधिकारी हैं। यानि आराजी नम्बर 960, 1617 में प्रार्थी

संख्या 1 से 4 तक संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा प्रार्थी संख्या 5 से 7 का संयुक्त रूप से 1/3 हक हिस्सा तथा प्रार्थी संख्या 8 का 1/3 हक हिस्सा का आराजी नम्बर 1582 में प्रार्थी संख्या 1 से 4 तक 1/6 हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 से 7 का 1/6 व प्रार्थी संख्या 8 का 1/6 हिस्सा इसी तरह परिशिष्ट ख वाली भूमि में प्रार्थी संख्या 1 से 4 तक का संयुक्त रूप से 1/36 वां हक हिस्सा, प्रार्थी संख्या 5 से 7 का भी संयुक्त रूप से 1/36 वां हक हिस्सा व प्रार्थी संख्या 8 का भी 1/36 वां हक हिस्सा अपने नाम पर राजस्व अभिलेख में दर्ज कराने के खातेदारी हकों की घोषणा कराने के अधिकारी हैं।

3. यह कि उक्त वर्णित आराजीयात प्रार्थीगण के नाम दर्ज होने से रह गई तथा विक्रेता देवा पुत्र काना डांगी का निधन हो जाने से उसके निधन के बाद देवा के नाम की भूमि विरासत से विपक्षीगण के नाम पर दर्ज हो जाने से विपक्षीगण उक्त भूमि को किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरीके से बेचने की धमकी दे रहे है तथा प्रार्थीगण के शांतिपूर्वक काश्त में दखल देने पर आमादा है इसलिए विपक्षीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा पाबंद कराया जाना आवश्यक हैं कि वो प्रार्थीगण की खरीदशुदा एवं कब्जे काश्त की भूमि में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करें, न ही किसी दिगर व्यक्ति से करावें। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण के पक्ष में एवं विपक्षीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावे कि वो प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क व ख में अंकित भूमि में वादीगण कि खरीदशुदा हिस्से को किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से हस्तान्तरित नहीं करे, न ही वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह का हस्तक्षेप करें, यह कार्य न तो प्रतिवादीगण स्वयं करे और न ही किसी दिगर व्यक्ति से करावें।

4. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी सं. 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। विपक्षी संख्या 1, 3, 4 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि परिशिष्ट क में वर्णित आराजी संख्या 960, 1582 व 1617, 1890 व 1891 की कृषि भूमि विपक्षीगण के हक व आधिपत्य की होना स्वीकार हैं। उक्त वर्णित आराजीयात विपक्षीगण की पैतृक कृषि भूमि है जो विपक्षीगण को विरासत से प्राप्त हुई हैं। उपरोक्त आराजीयात का विक्रय पत्र कभी भी विपक्षीगण के पिता स्व. देवा जी डांगी ने अपने जीवनकाल में प्रार्थीगण के पक्ष में निष्पादित नहीं किया हैं। प्रार्थीगण ने विपक्षी संख्या 2 के साथ मिलकर विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 की कीमती कृषि भूमि हडपने के आशय से मिथ्या आधार निर्मितकर मिथ्या व कुटरचित विक्रय पत्र के आधार पर गांगा डांगी, डुंगा डांगी व हिरा के वारिसान के साथ मिलकर वाद प्रस्तुत किया है जो प्रथम दृष्टया खारिज योग्य

हैं। ताहमवी ऐसा कोई विक्रय पत्र अस्तित्व में हो भी तो वह बमुकाबले विपक्षीगण प्रारम्भ से शुन्य व निष्प्रभावी है। स्व. देवा जी डांगी को उपरोक्त भूमि विक्रय करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। उपरोक्त आराजीयात की कृषि भूमि पर प्रार्थीगण का एक भी दिन कब्जा नहीं रहा। वर्तमान में विपक्षीगण अपने–अपने हक हिस्से पर सुविधानुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे है। विपक्षीगण के पिता स्व. देवा जी ने अपने सम्पूर्ण जीवनकाल में प्रार्थी संख्या 1 से 4 के पिता उदा जी डांगी, वादी संख्या 5 से 7 के पिता चेना जी डांगी एवं अन्ना जी डांगी तथा गंगा, डुंगा व हिरा डांगी से पूर्ण दूरी बनाये रखी तथा उन्होने कई बार विपक्षीगण की भूमि हथियाने का प्रयास किया जिस पर विपक्षीगण के पिता देवा जी डांगी व प्रार्थी संख्या 1 से 7 तक के पूर्व पुरूष एवं अन्ना जी डांगी एवं गंगा, डूंगा व हिरा डांगी के मध्य भारी विवाद एवं तनाव उत्पन्न हो गया ऐसी स्थिति में तथाकथित विक्रय पत्र दिनांक 18.05.1968 का निष्पादन व हस्ताक्षर विपक्षीगण के पूर्व पुरूष द्वारा किया जाना कतई सम्भव नहीं है। स्व. देवा जी डांगी ने कोई भूमि प्रार्थीगण को अथवा अन्य को नहीं बेची, न कब्जा ही दिया, न ही कोई रूपये लिये। ताहमवी यदि विक्रय पत्र को एक क्षण के लिए विधितः निष्पादित माना जावें तो भी विपक्षी संख्या 1, 3, 4 अपने पिता एवं तत्पश्चात् स्वयं वादग्रस्त भूमि पर काबिज होकर आधिपत्यधारी हो भूमि का उपयोग उपभोग कर रहे है जिसे करीब 45 वर्षों से अधिक समय व्यतीत हो गया है जिससे विपक्षीगण के वर्षों पुराने आधिपत्य के आधार पर स्वयं खातेदार हैं। प्रतिकूल कब्जे के आधार पर विपक्षीगण के वर्षो पुराने आधिपत्य से वादग्रस्त भूमि के पूर्ण रूप से स्वामी विपक्षीगण है जिन्हे भूमि से बेदखल करने का कोई अधिकार प्रार्थीगण को प्राप्त नहीं है। विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 वर्षों से बिना किसी व्यवधान के शांतिपूर्वक बिना किसी रोक टोक के उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है जिसमें व्यवधान डालने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं हैं।

5. यह कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क व ख में वर्णित भूमि पर कोई हक व अधिकार नहीं है, न वे खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने योग्य हैं। परिशिष्ट क में वर्णित भूमि के एकमात्र खातेदार व परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी संख्या 1890, 1891 के 1/3 हिस्से पर विपक्षी संख्या 1 से 4 काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे हैं। प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध वादग्रस्त भूमि से नहीं हैं। प्रार्थना पत्र खारिज योग्य हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 को विरासत से प्राप्त हुई है जिससे प्रार्थीगण का कोई सम्बन्ध नहीं है। विपक्षी संख्या 1 से 4 मौके पर शांतिपूर्वक उपयोग–उपभोग कर रहे है तथा विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 ने कभी भी प्रार्थीगण को कोई धमकी नहीं दी हैं। प्रार्थीगण किसी

प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा विपक्षी संख्या 1, 3 व 4 के विरूद्व प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का आदेश फरमावें।

6. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3, 4 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 व अन्य सहखातेदार के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। प्रार्थीगण द्वारा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया, उसी के साथ अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाने का निवेदन किया हैं। प्रार्थीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि को प्रार्थी संख्या 8 अन्ना व प्रार्थी संख्या 1 से 7 के मौरूस उदा, चेना ने विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस देवा पिता काना से क्रय की। इसलिए प्रार्थीगण उक्त विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज वादग्रस्त आराजी नम्बर 960, 1617 का सम्पूर्ण हिस्सा, आराजी नम्बर 1582 का 1/2 हिस्सा एवं आराजी नम्बर 1890, 1891, 1892 में से 1/3 हिस्सा भूमि अपने नाम दर्ज कराने के अधिकारी हैं। विपक्षीगण का कथन है कि वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 की पैतृक सम्पति होकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम विरासत के आधार पर दर्ज हुई हैं। विपक्षी संख्या 1 से 4 के पिता देवा जी ने वादग्रस्त भूमि का कभी भी विक्रय नहीं किया हैं। इसलिए प्रार्थीगण किसी प्रकार की दाद प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के मौरूस व विपक्षी संख्या 1 से 4 व अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में दर्ज हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 से पूर्व इनके पिता देवा के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। प्रार्थी संख्या 8 व प्रार्थी संख्या 1 से 7 के मौरूस द्वारा

वादग्रस्त भूमि को क्रय किया गया था परन्तु उक्त विक्रय का नामान्तरकरण पारित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि देवा के नाम दर्ज चली आ रही थी एवं तत्पश्चात् देवा के फौत होने पर विरासत के आधार पर देवा के वारिस विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज हुई। वर्तमान में वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 4 को पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द–बुर्द, विक्रय, हस्तान्तरण कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा।

न्यायालय का यह भी मानना है वाद में यह बिन्दू तय किया जाना है कि वर्ष 1968 में विक्रय बेचान हुआ है या नहीं ? चूंकि 100/– रूपये से कम कीमत पर बेचान हुआ है तो पंजीयन आवश्यक नहीं है। यह सभी बिन्दू वाद में साक्ष्य सबूत से तय किये जायेगें। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. *सुविधा का संतुलन–* प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के मौरूस व विपक्षी संख्या 1 से 4 व अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस खातेदार देवा से क्रय करने से विक्रय पत्र अनुसार अपने नाम दर्ज करवाना चाहते है। इस कारण यदि विपक्षी संख्या 1 से 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को काफी असुविधा का सामना करना पडेगा तथा प्रकरण में अनावश्यक पैचिदगीया उत्पन्न होगी। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहे हैं। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

3. ***अपूरणीय क्षति का बिन्दू–*** चूंकि प्रार्थनाग्रस्त भूमि वर्तमान में प्रार्थीगण के मौरूस व विपक्षी संख्या 1 से 4 व अन्य सहखातेदारान के नाम हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को विपक्षी संख्या 1 से 4 के मौरूस देवा से क्रय करना बताकर विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज भूमि में से विक्रय पत्र अनुसार अपने नाम दर्ज करवाने हेतु वाद पेश किया हैं। वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 से 4 के नाम दर्ज होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को विक्रय, रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। प्रथम

दृष्टया मामला व सुविधा संतुलन के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित हुए हैं। अतः उक्त बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

वर्तमान में विपक्षी संख्या 1 से 4 वादग्रस्त भूमि के खातेदार होने से यदि विपक्षी संख्या 1 से 4 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जाता है एवं विपक्षी संख्या 1 से 4 अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि को रहन, बैह, बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित कर देते है तो इससे प्रार्थीगण के हक अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थीगण को अपने हिस्से से वंचित होना पडेगा। प्रकरण में दिनांक 02.03.2012 से विपक्षीगण के विरूद्व अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हैं।

शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

—: <u>आदेश</u> :—

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि विपक्षी संख्या 1 से 4 मूल वाद के निस्तारण तक मौजा रख्यावल पटवार हल्का रख्यावल तहसील मावली हाल घासा की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2065—68 के खाता संख्या 203 पर दर्ज आराजी नम्बर 960, 1582, 1617 किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 12 बिस्वा एवं खाता संख्या 204 पर दर्ज आराजी नम्बर 1890, 1891, 1892 किता 3 कुल रकबा 2 बीघा 11 भूमि के राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाए रखे। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। उक्त आदेश अन्य सहखातेदारान पर प्रभावी नहीं होगा साथ ही तहसीलदार घासा को भी आदेशित किया जाता है कि अन्य सहखातेदार के किसी भी प्रकार के नामान्तरकरण इस स्थगन के सन्दर्भ में नहीं रोकें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली